


फर्द अहकाम

दावूरणी सुन्दर केशव बनाम सुभाषकाव क अर्थ संगाने

आयालय

ख्या

1421/2017

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
16/4/21	<p>1.31 हें वकिले गड सुनुनाथपुरा डर्क सतव्या वल्लिक संगाने के अप्रार्थीगण रिकार्डें लोतेदार कारतव्यद 516 रिकार्डें हे। प्रार्थीगण का अंत आराफी से कोइ फरिका नही है अतः प्रार्थी के पक्ष मे प्रदातवृत्त केस के सुविधा का सुन्मुख नही पाया जाता है अतः प्रार्थी का प्रत्यक्ष आवाइ निपेक्षा साहित किफा पाया है प्रजावर्गी नम्बा से कस लेका काद वकलीक मुक्त वाद के लाभ संलम्न हो सुनाया गया।</p>	
	<p>  सुखण्ड अधिकारी वायपुर हिलीय </p>	

फर्द अहकाम

नाम न्यायालय
केस संख्या

हाकुरणी खुन्डा बखश बनाम सुकालाल व अन्य
S. No II सांगानेर
142 A/2017

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
क्रमांक 15/4/25 15/4/25 वकीलवाही	18/3/25	पञ्जावली पेश हुई वकील उमरपक्ष उद्योग वाली कस T. 3. हेतु दि. 15/4/25 को पेश हो। उप-खण्ड अधिकारी, जयपुर (द्वितीय)
66/5/15	15/4/25	पञ्जावली पेश हुई। वकील उमरपक्ष उद्योग अन्य राज्य कार्य में व्यस्त हैं। अतः पञ्जावली पेशुसार दिनांक 6/5/25 को पेश हो।
19/5/25	66/5/15	पञ्जावली पेश हुई। वकील उमरपक्ष उद्योग आज के कारण पेश नहीं जा सकी। पीठ के आदेश के अनुसार पेश हो रहे हैं। अतः पञ्जावली पेशुसार दिनांक 19/5/25 पेश हो।
3/6/25	19/5/25	पञ्जावली पेश हुई। वकील उमरपक्ष उद्योग वाली कस T. 3. हेतु दिनांक 03/6/25 को पेश हो। उप-खण्ड अधिकारी, जयपुर (द्वितीय)
16/6/25	3/6/25	पञ्जावली पेश हुई। वकील उमरपक्ष उद्योग वाली कस T. 3. हेतु दि. 16/6/25 को पेश हो। उप-खण्ड अधिकारी, जयपुर द्वितीय (सांगानेर)
	16/6/25	पञ्जावली पेश हुई। वकील उमरपक्ष उद्योग उमरपक्ष की प्रार्थना आधारे निषेधाज्ञा पर कसुकी गई। वकील पक्षी ने अपनी कस में प्रार्थना T. 3. में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए पक्षी का प्रार्थना T. 3 स्वीकार किये जाने हेतु निवेदन किया है। वकील पक्षी ने अपनी कस में कहा कि वादग्रह आशपी खसरा न. 425 रकबा 0.42, 426 रकबा 0.35, 432 रकबा 0.39, 433 रकबा 0.15 कुल कित 4 कुल रकबा